

# महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 राजस्थान, भारत  
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA  
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail:  
academic@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक : एफ.07(199) मगंसिविबी/शैक्ष./2018/22320

दिनांक : 28-3-18

प्रभारी अधिकारी,

वेबसाईट,

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,  
बीकानेर।

विषय : राज्य सरकार से प्राप्त पत्र वेबसाईट पर अपलोड करवाने के संबंध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पार्ट दिनांक 22.03.2018 के द्वारा गैर-अनुदानित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सत्र 2018-19 के लिए संलग्न पत्रानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। उक्त पत्र को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

क्रमांक : एफ.07(199) मगंसिविबी/शैक्ष./2018/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. रक्षित पत्रावली।

उप. कुलसचिव (शैक्ष.)

दिनांक :

अनुभाग अधिकारी (शैक्ष.)



राजस्थान सरकार  
शिक्षा(गुप-4) विभाग

दिनांक: 22 मार्च, 2018

क्रमांक: प 11 (3) शिक्षा-4 / 2009पार

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

देशगत काउन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर अनुदानित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वर्णित शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4	अन्य गातावधिया*	3600.00	-	-	3600.00
	<b>योग</b>	<b>26880.00</b>	<b>22320.00</b>	<b>22320.00</b>	<b>26880.00</b>

\* (क्र.सं 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-शुल्क का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड.
(A)	<b>कार्यालय व्यय</b>				
1	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2	कौशन मनी *	180	180	180	180
3	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4	विकास शुल्क	840	840	840	840
5	विजली-पानी	840	840	840	840
6	परीक्षा	300	300	300	300
7	विविध	60	60	60	60
	<b>योग (A)</b>	<b>2280</b>	<b>2280</b>	<b>2280</b>	<b>2280</b>




(B) छात्र कोष					
1.	खेलकूद	180	180	180	180
2.	पुस्तकालय	540	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180	180
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180	180
5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6.	कार्यशाला/कार्यनुभव	360	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180	180
8.	आकस्मिक व्यय	180	180	180	180
योग (B)		2160	2160	2160	2160
महायोग (A+B)		4440.00	4440.00	4440.00	4440.00

(\* कायांश 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा )

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क प्रवेश शुल्क व कॉशन मनी मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कौशलैस विकल्प उपलब्ध करवाएं।

  
(डॉ० राजेन्द्र जोशी)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा


प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि- II, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।



- 1. गुजरात विश्वविद्यालय, राजस्थानी विश्वविद्यालय, अजमेर।
- 2. गुजरात विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 3. गुजरात विश्वविद्यालय, महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
- 4. गुजरात विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
- 5. गुजरात विश्वविद्यालय, जयानंद महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
- 6. गुजरात विश्वविद्यालय, वीरभद्राल उपाध्याय शैलावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
- 7. गुजरात विश्वविद्यालय, महाराज सुरजभल कुल विश्वविद्यालय, भरतपुर।
- 8. गुजरात विश्वविद्यालय, राजशेखर महारि मल्ल विश्वविद्यालय, अजमेर।
- 9. गुजरात विश्वविद्यालय, जयशंकर सारंगनाथराय राजस्थान सरकृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 10. गुजरात विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय
- 11. गुजरात विश्वविद्यालय, डी००६ विश्वविद्यालय
- 12. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 13. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 14. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 15. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 16. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 17. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 18. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 19. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 20. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 21. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 22. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 23. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 24. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 25. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 26. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 27. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 28. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 29. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 30. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 31. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 32. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 33. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 34. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 35. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 36. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 37. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 38. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 39. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 40. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 41. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 42. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 43. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 44. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 45. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 46. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 47. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 48. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 49. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर
- 50. गुजरात विश्वविद्यालय, शिक्षा, बीकानेर

उपरोक्त सूची में सूचीबद्ध संस्थाओं का प्रारंभ कर लेख है। जे. आर. की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करवाये तथा एनसीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के विन्दु संख्या 9(1) (iv) के अनुसार मंच 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क के गन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये।

  
 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा